न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2024-201RAABarmer2024-09RTA223 Bhanwarukhan Vs Fati etc

भवरूखां पुत्र गांधीखां जाति मुसलमान निवासी स्वामीजी की ढाणी, तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. फाती पत्नि कवरसीखां फौत (डिलेट)
2. हनीफ पुत्र कंवरसीखां
3. सरीफ पुत्र कवरसीखां
4. राजों पुत्री कवरसीखां
5. भंवरी पुत्री कवरसीखां
6. उम्मेदों पुत्री कवरसीखां

   जातियान् मुसलमान निवासी स्वामीजी की ढाणी, तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।
7. अयूबखां पुत्र हकीमखां
8. आदमखां पुत्र हकीमखां
9. राणी पुत्री हकीमखां
10. मणखी पुत्री हकीमखां
11. विलायतों पुत्री हकीमखां
12. मोहम्मदखां पुत्र शेरखां
13. तदुवखां पुत्र शेरखां
14. नवाब पुत्र शेरखां
15. रईसखां पुत्र आलमखां
16. शकूरखां पुत्र आलमखां
17. जम्मेखां पुत्र आलमखां
18. बीरबलखां पुत्र आलमखां
19. जेपूखां पुत्र आलमखां
20. जरीना पुत्री आलमखां
21. सईदों पुत्री आलमखां
22. जानूखां पुत्र कंवरसीखां

    जाति मुसलमान निवासी स्वामी की ढाणी, तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर।
23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भणियाणा
24. शाखा प्रबन्धक आरएमजीबी शाखा भीखोडाई

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर भणियाणा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2019 फाती व अन्य बनाम अयूबखां इत्यादि

उपस्थित–

श्री सुरेश परिहार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

नि र्ण य

दिनांक : 25 फरवरी 2026

अपील प्राधिकारी

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2019 अनवान फाती व अन्य बनाम अयूबखां इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 12 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से छः/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत इस आशय का वाद प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 17 की सामलाती खातेदारी भूमि खेत खसरा नंबर 364 रकबा 4 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन टांका, खसरा नम्बर 365 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 366 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन, खसरा नंबर 367 रकबा 4 बिसवा गैर मुमकिन, खसरा नंबर 369 रकबा 7 बिस्वा गैर मुमकिन बाडा, खसरा नम्बर 370 रकबा 201 बीघा किस्म बारानी–3, खसरा नम्बर 370/1 रकबा 240 बीघा किस्म बारानी–4, मौजा स्वामीजी की ढाणी, पटवार हल्का स्वामीजी की ढाणी, तहसील भणियाणा जिला जैसलमेर में आयी हुई है, जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 17 का 1/4 हिस्सा है।, वादीगण अपने हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है तथा खसरा नम्बर 370/1 में वादीगण की 3 ढाणीया बनी हुई, लेकिन राजस्व रेकर्ड में भूमि एवं लगान का बाई मिन्ट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाडा किया हुआ नही है। वादीगण द्वारा अपने वाद में वादग्रस्त आराजीयात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी/अपीलार्थी भंवरू खॉ पुत्र गांधी खॉ की तरफ सें जवाब पेश कर वादीगण के कथनों का खण्डन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22 मार्च 2021 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये। तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2024 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाडें के सारभूत तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवाडे के निर्णय में रास्ते का किसी प्रकार का कोई विकल्प नही रखा है, जबकि बंटवाडे में रास्ते के बगैर किसी प्रकार के कोई निर्णय कानूनन सही नही है। अपीलार्थी द्वारा मौका रिपोर्ट पर अपनी असहमति प्रस्तुत किये जाने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की असहमति को नजर अन्दाज करते हुए प्रत्यर्थीगण/वादीगण को फायदा पहुँचाने के लिए आलोच्य निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी की ढाणीयों एवं पक्के निर्माण को जानबूझकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बालोतरा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण/वादीगण के हिस्से में दर्शाया गया है, जबकि अपीलार्थी वर्षो से अपनी ढाणीयों का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण/वादीगण के नजरी नक्शे को ही अन्तिम रूप से मानते हुए प्रत्यर्थीगण/वादीगण को अनैतिक रूप से फायदा पहुँचाने के लिए आलोच्य आदेश पारित किया है, जबकि अपीलार्थी द्वारा अपने जवाब में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया कि वादी/ प्रत्यर्थी द्वारा जो नजरी नक्शा पेश किया गया है वो गलत है। तहसीलदार द्वारा भी विभाजन प्रस्ताव उस नजरी नक्श के अनुसार ही तैयार किया गया है, जिसका अपीलार्थी द्वारा विरोध करने के बावजूद किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई तथा प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध आलोच्य आदेश पारित कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को आलोच्य निर्णय की जानकारी अपने अधिवक्ता से मिलने पर हुई तथा अपीलांट द्वारा जानकारी होते ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकले लेकर हस्तगत अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2019 अनवान फाती व अन्य बनाम अयूबखां इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 जनवरी 2024 को अपास्त किया जावे एवं मामला पुनः परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारित करने का आदेश प्रदान करावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक उभय पक्ष द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 08.07.2021 पर असहमति जताने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार फलसुण्ड द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में दिनांक 20.12.2022 को पुंनः मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए तथा प्रत्येक जोत तक आवागन हेतु रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से उक्त विभाजन प्रस्ताव पर असहमति जाहिर किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में उक्त असहमति का निस्तारण करते हुए विधिनुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने पाये जाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बालोतरा

यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण की उपस्थिति में उनको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अत्यंत विलंव से पेश की गई है, जिसका कोई विधिसम्मत कारण नहीं बतलाया गया है। इन परिस्थितियों में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील काल वर्जित पाये जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री गुणावगुण पर विधि सम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट काल–वर्जित एवं गुणावगुण पर सारहीन पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भणियाणा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 16/2019 अनवान फाती व अन्य वनाम अयूबखां इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 जनवरी 2024 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर